[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

न देना, उनके मनोबल को स्वयं घटाना-बढ़ाना ही कहा जायेगा । जो अधिकारियों की बहुत बड़ी साजिश है ।

मान्यवर, इस सन्दर्भ में मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश में हत्या, लूट और नरसंहार की घटनाओं पर यदि सरकार काबू पाना चाहती है तो अविलम्ब सभी वर्गों को दिए गए लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, उसका लाइसेंस रद्द कर उसके असलहे जमा करा देने से देश की स्थिति पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।

कल हरिजनों और आदिवासियों को लाइसेंस देने की बात कही गई। आज मंहगाई की विकट मार से प्रायः आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति चार-पांच हजार रूपये का असलहा नहीं ले पायेगा। जिसके पास अनुचित साधनों से धन इकट्ठा किया गया है, या जो धनी है, वह अपने घर के सभी व्यक्तियों को बन्दूक खरीदवा सकता है। उसे लाइसेंस भी मिल जायेगा। परन्तु जो गरीब है, वह बन्दूक क्या, एक चाकू भी आज नहीं रख सकता। अतः पूरे देश में लाइसेंस प्रणाली हर हालत में खत्म करनी आवश्यक हो गई है। जहां तक रक्षा का प्रश्न है किसी भी व्यक्ति की जान पर खतरा हो, उसे तुरन्त अंगरक्षक या फोर्स दे देनी चाहिए।

मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार कर देश में शान्ति व्यवस्था की स्थापना हेतु लाइसेन्स (बन्दूक लाइसेंस) प्रणाली को रद्द करने की कृपा करें और इस सदन को इस सन्दर्भ में लिए गए अपने निर्णय से अवगत कराएं।

(viii) NEED TO OPEN A BRANCH OF SEAMEN EMPLOYMENT OFFICE AT MADRAS

DR. A. KALANIDHI (Madras Central): Sir, there is no branch of Seamen Employment Office at Madras and about 15,000 seamen from the southern region have to go all the way *to Bombay or Calcutta for employ*ment etc. Moreover, there is also no agent's office of the Shipping Corporation of India at Madras and all the agents' work are being, at present, looked after by private parties only, leading to the draining of millions of rupees of Government and quasi-government into the hands of a few private persons.

Employment in foreign ships is blocked by the undue restriections imposed by Emigration authorities. They have to be simplified, or removed totally, to enable the thousands of passport holding seamen to get emplyoment. The concessions available in Government hospitals should be extended to the families of all the 40,000 seamen on par with Government employees.

In the Central Government owned shipping companies and Moghul Line passenger ships, the canteen crews are being employed by the private agencies licensed by the Central Government. The pay for the above canteen crews was fixed at Rs. 850 as the minimum by the National Maritime Board, with the concurrence of the Director-General, Shipping and Transport, representatives of the ship-owners and the unions. But this is not being implemented. Instead, the private agencies pay only Rs. 150 to 200 per month, excluding boarding and lodging. Due to this anomaly and non-implementation of the agreement, the canteen crews of M. V. Childambaram struck work on 27-10-81 at Singapore. The National Union of Seafarers of India has launched direct action. This news was published in the *Indian Shipping*

and Transport News, The Economic Time (Bombay edition) and the *Hindu* (Madras edition). These aspects have to be looked into immediately in depth and in right earnest and justice must be rendered to the canteen crews and seamen.

If all the above suggestions are implemented, not only will the Government stand to gain crores of rupees, but it will also cut short the accumulation of wealth by a few vested interests indulging in anti-national and Anti-labour activities. All the seamen and canteen crews of the Indian ships will thank the Government wholeheartedly. Will the Government of India wake up and render the much-needed justice to the seamen is the question which is being asked by all the interested people at Madras.

14.55 hrs.

ECONOMIC OFFENCES (INAPPLICABILITY OF LIMITATION) AMENDMENT BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up further consideration of the Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Amendment Bill Mr. Rasheed Masood may now speak.

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल इकनामिक अफेंसेस के मुताल्लिक पेश किया गया है, इसकी बेइन्तहा जरूरत है कि इस मुल्क में जो इकनामिक अफेंसेस होते हैं, उनको कम किया जाए।

आज तक जितने भी मामलात होते हैं, उन में छोटे और गरीब लोग तो पकड़े जाते हैं और उनको सजा भी दी जाती है, लेकिन जो सोसाइटी को सब से ज्यादा नुकशान पहुंचाने वाले लोग हैं, जिन्हें व्हयाइट कालर क्रिमिनल कहा जाता है, उनको कोई सजा नहीं मिलती है। उनको सजा देने के लिए जैसा कि बिल के आब्जेक्ट में लिखा गया है इसके जरिए एक तरीका निकाला है और मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा है और ऐसे इंतजामात करने चाहिएं जिससे ऐसे अफेंसेस न हों जिन से सोसाइटी की तबाही हो रही है।

14.57 hrs.

[MR. GULSHER AHMED *in the Chair*]

इस सब के बावजूद क्रिमिनल अफेंसेस की डेफीनेशन अभी तक ऐसी नहीं है जिस से यह पता चल सके कि जो लोग ब्लैक मनी को बढ़ावा देते हैं, वे उस में आ सकते हैं। इंडीस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगूलेशन एक्ट में जिन चीजों को क्रिमिनल अफेंस कहा गया है, जैसे अगर बिना रजिस्ट्रेशन के इंडस्ट्री चलाई जा रही है, यह कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। डेफीनेशन को और बढ़ाया जाना चाहिए जो लोग गलत तरीकों से पैसा बना रहे हैं और शासन को नुकशान पहुंचा रहे हैं। जो लोग टैक्सों की चोरी कर रहे हैं, इन सब को इस लिस्ट में लिया जाना चाहिए। हमारा रोज का तजुरबा है कि लोग इंडस्ट्री के लिए लोन लेते हैं और रुपया कहीं और खर्च कर देते हैं। गवर्नमेंट का पैसा खा जाते हैं। इन सब को रोकने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाए जाने चाहिएं। जब तक इन बातों को नहीं रोका जाएगा तब तक गवर्नमेंट के पैसे का सही यूटीलाइजेशन नहीं हो सकेगा।

इन सब बातों को चैक करने के लिए मशीनरी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हम जो रोज देखते हैं जो 10–20–50 लाख की इंडस्ट्रीज कस्बों या छोटे शहरों में हैं और गवर्नमेंट से लोन लिया गया है, लेकिन सारा पैसा खा जाते हैं और रिकवरी के